न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 42/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मैसर्स एस.बी.एफ.सी. फाइनेन्स लि., ऑफिस– यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्कवायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी कुर्ला रोड़, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400059, ब्रांच ऑफिस–फर्स्ट फ्लोर, राजधानी ग्लास हाउस के ऊपर, मेट्रो पिलर नं. 63 के सामने, कामाहाउस एण्ड भोमिया जी का मन्दिर, ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल, अजमेर रोड़, सोडाला 305001, राज.

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **हिमांशु डोडवारिया पुत्र हरलाल सिंह**

   पता–(1) एयरमेन मैस, एयफोर्स स्टेशन, बोरगर्ड, पो. मेरी कोलानी, म्हासरोल, नासिक, महाराष्ट्र 422004

   पता–(2) पट्टा नम्बर 23 ब्राह्मणों का मौहल्ला, तह. लछमनगढ़, खुर्री पब्लिक स्कूल, खुर्री बाडी, ग्रामीण, सीकर राजस्थान–332315
2. **रवीन्द्र पाल सिंह पुत्र हरलाल सिंह**

   पता–(1) एयरमेन मैस, एयफोर्स स्टेशन, बोरगर्ड, पो. मेरी कोलानी, म्हासरोल, नासिक, महाराष्ट्र 422004

   पता–(2) पट्टा नम्बर 23 ब्राह्मणों का मौहल्ला, तह. लछमनगढ़, खुर्री पब्लिक स्कूल, खुर्री बाडी, ग्रामीण, सीकर राजस्थान–332315
3. **हरलाल सिंह पुत्र श्री रघूनाथ सिंह**

   पता–(1) एयरमेन मैस, एयफोर्स स्टेशन, बोरगर्ड, पो. मेरी कोलानी, म्हासरोल, नासिक, महाराष्ट्र 422004

   पता–(2) पट्टा नम्बर 23 ब्राह्मणों का मौहल्ला, तह. लछमनगढ़, खुर्री पब्लिक स्कूल, खुर्री बाडी, ग्रामीण, सीकर राजस्थान–332315

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 28.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **हिमांशु डोडवारिया पुत्र हरलाल सिंह, रवीन्द्र पाल सिंह पुत्र हरलाल सिंह** एवं **हरलाल सिंह पुत्र रघूनाथ**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **हरलाल सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 23ए, ग्राम खुर्री बाडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 683.80 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली पडी भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में गुवाडी प्रभुदयाल पुत्र गंगाराम जाट एवं दक्षिण दिशा में श्रीचन्द पुत्र गणपतलाल जाट है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 27,27,831/– रूपये (अक्षरे रूपये सताइस लाख सताइस हजार आठ सौ इकतीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **30.05.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **30.05.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **हिमांशु डोडवारिया पुत्र श्री हरलाल सिंह, रवीन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह** एवं **हरलाल सिंह पुत्र श्री रघूनाथ सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **हरलाल सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 23ए,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ग्राम खुर्री बाडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 683.80 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली पडी भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में गवाडी प्रभुदयाल पुत्र गंगाराम जाट एवं दक्षिण दिशा में श्रीचन्द पुत्र गणपतलाल जाट है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **28.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर